न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :-73/2018/टोंक (2018/00073)

1. छोटी पुत्री कबीर खां बेवा बाबू खां जाति मुसलमान निवासी बाडजेरेकिला तहसील टोंक हाल निवासी गोल हवाई मौहल्ला, वार्ड नं 15 तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलांट

बनाम

1. रसीद पुत्र जहुर तथाकथित माता जुबेदा
2. रईस पुत्र जहुर तथाकथित माता जुबेदा
3. रईसा पुत्री जहुर तथाकथित माता जुबेदा
4. मुन्नी पुत्री जहुर तथाकथित माता जुबेदा
5. कल्लू पुत्र जहुर तथाकथित माता जुबेदा
6. अनीस पुत्र अजीज
7. मुन्नी पुत्री अजीज
8. आरिफा पुत्री अजीज
9. कालू पुत्र अजीज
10. मुन्ना पुत्र अजीज
11. मजीद पुत्र अजीज
12. नफीस पुत्र अजीज
13. कबूली पुत्री अजीज
14. अमीना पत्नी अजीज समस्त जाति मुसलमान निवासी बाडाजेरेकिला तहसील टोंक
15. ग्राम पंचायत वजीरपुरा जिला टोंक
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, टोंक ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, टोंक दिनांक 21.02.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 07/2016.</u>

<u>उपस्थित अभिभाषक :-</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:10 IST
Reason: SelfAttested

1. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत, वकी[illegible] ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पोन्डेन्ट सं[illegible]
3. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 एवं [illegible]ायत 15 अनुपस्थित ।
4. राजकीय अभिभाषक -आकाश पारीक

निर्णय

दिनांक :– 29.12.2021

अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2018 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि ग्राम बाडाजेरेकिला प0ह0 वजीरपुरा जिला टोंक के ख0सं0 100, 146, 148, 281, 301, 302, 305 कुल किता 7 कुल रकबा 37 बीघा 4 बिस्वा कबीर खां की रेकाडेर्ड खातेदारी की भूमि है। कबीर खां का देहान्त हो चुका। दिनांक 28.03.1989 को जरिये नामांतरकरण संख्या 98 कबीर खां कि विरासत मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के तहत उनके जीवित वारिसान प्रार्थीया पुत्री एवं पुत्र अजीज (रेस्पो0 6 से 14 के पिता) के नाम स्वीकृत किया गया, जो अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जाकर बतौर खातेदार के नाम दर्ज चला आ रहा है। जिसमें प्रार्थीया अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। कबीर खां की पुत्री जुबेदा की मृत्यु दिनांक 07.03.1975 को कबीर खां के जीवनकाल में हो चुकी थी। जिस कारण मुस्लिम विधि के तहत उनके नाम विरासत पारित नहीं हो सकती है। रेस्पो0 सं0 1 से 5 द्वारा अपने आप को कबीर खा की दूसरी पुत्री जुबेदा के वारिसान बताते हुए एक वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष दिनांक 02.07.2015 को पेश किया, जो हाल विचाराधीन है। दिनांक 20.07.2016 को इंतकाल संख्या 98 दिनांक 28.03.1989 के विरूद्ध मियाद बाहर अपील उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष रेस्पो0 सं0 1 से 5 ने पेश की । अपील में प्रार्थीया की तलबी पूर्ण हुए बिना ही उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा अपने निर्णय को बिना विवेचन के कारण रहित पारित कर दिनांक 05.02.2018 द्वारा प्रकरण तहसीलदार, टोंक को रिमाण्ड कर दिया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:10 IST
Reason: Self-Attested

विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया को आदेश दिनांक 21.02.2018 की कतई जानकारी नहीं रही क्योंकि उक्त आदेश प्रार्थीया को सुने बिना एवं सूचना दिये बिना पारित किया गया है, जिस पर मियाद लागू नहीं होती है। प्रार्थीया हाल निवास जहाजपुर जिला भीलवाडा रहती है। जब विपक्षीगण के साथ मिलकर प्रार्थीया द्वारा विक्रयशुदा भूमि के खरीददार ने शेष रकम अदा करने से मना करने और आपसी मिली भगत एवं जालसाजी से अपने नाम इंतकाल पारित करवाने का प्रार्थीया को धमकाया गया तो प्रार्थीया ने

जानकारी करने हेतु अभिभाषक से मिलने जाने पर आदेश एवं पत्रावली की जानकारी हुई, जिस पर उनकी सलाह से दिनांक 14.09.18 को नकल प्राप्त कर फीस एवं आवश्यक खर्च की व्यवस्था कर श्रीमान के समक्ष दिनांक 17.09.2018 को अपील पेश की गई। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

प्रकरण में गुणावगुण पर अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2018 विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड होकर निरस्त योग्य है। अधि0न्याया0 ने मियाद के बिन्दु को गौण करते हुए अपील को गुणावगुण पर तय कर दिया। अधी0न्याया0 में रेस्पोडेंट द्वारा धारा 96 के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना की गई। जिसे अधी0न्याया0 ने भी नजर अंदाज किया है। रेस्पो0 को इंतकाल की स्पष्ट जानकारी रही है। अधी0न्याया0 ने राजस्व रेकार्ड में अंकित प्रविष्टियों को नजर अंदाज करते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किया जो काबिल निरस्त योग्य है। कबीर खां की मृत्यु के बाद पारीत विरासती इंतकाल संख्या 98 दिनांक 28.03.1989 से आज तक प्रार्थीयां रेकोडेर्ड खातेदार दर्ज होकर अपने हिस्से तक काबिज काश्त चली आ रही है। विपक्षीगण द्वारा इतने वर्षो तक कार्यवाही नहीं करना संदेहास्पद है जबकि जुबेदा की मृत्यु दिनांक 07.03.1975 को हो चुकी है परन्तु रेस्पो0 आपसी मिलीभगत द्वारा प्रार्थीया की तलबी के बिना नये सिरे से नामान्तरकरण के जरिये हक अधिकार तय करवाने का प्रयास कर रहे है। अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 24.01.17 को प्रार्थीया केसही पते का नोटिस पेश करने हेतु रेस्पो0 को आदेश पारित किया जिस पर दिनांक 03.03.17 को रजिस्टर्ड एडी नोटिस से तलबी के आदेश पारित किये गये तथा दिनांक 24.04.17 को पत्रावली इंतजार में नियत रही। प्रार्थीया के हाल पते पर तलबी नहीं पेश की गई। दिनांक 07.09.17 को पत्रावली वास्ते बहस नियत कर दी गई जबकि प्रार्थीया की तलबी की कोई रिपोर्ट नहीं है। दिनांक 10.01.18 को प्रार्थीया के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित कर दिये गये। अपीलांटस वर्तमान रेस्पोडेंटस सं0 1 से 5 पर बर्डन ऑफ प्रूफ है जो साबित करें कि विवादित भूमि में उनका विरासती अधिकार है जबकि कबीर खां की पुत्री जुबेदा की मृत्यु दिनांक 07.03. 1975 को कबीर खां के जीवनकाल में ही हो चुकी थी जिस कारण जुबेदा एवं उसके वारिसान के नाम मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के तहत विरासत पारित नहीं हो सकती है तथा [illegible] इंतकाल जीवित जायंदा वारिसान के नाम ही पारित किया जा सकता है, जो कानूनी बिन्दु है जिसे अधी0न्याया0 द्वारा तय नहीं किया गया है ना ही विपक्षीगण द्वारा साबित करवाया गया। अधी0न्याया0 अपने निर्णय में कर्तव्य लोप करते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो काबिल निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:10 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.18 मात्र कयासों के आधार पर पारित

किया गया है, जिसका विधिक एवं दस्तावेजी आधार नहीं है ना ही अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं कर मात्र तकनीकी त्रुटि का लाभ प्रदान किया गया जो विधि के प्रतिकूल है। रेस्पो0 सं0 1 से 5 द्वारा अपने आप को कबीर खां की दूसरी पुत्री जुबेदा के वारिसान बताते हुए एक वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष दिनांक 02.07.15 को प्रस्तुत किया गया, जो हाल विचाराधीन है। नियमित वाद के विचाराधीन रहते इंतकाल की अपील पेश नहीं की जा सकती है क्योंकि इंतकाल फिक्सल प्रोसेडिंग है, जिसमें किसी व्यक्ति का कोई हक अधिकार तय नहीं होते है। रेस्पो0 अपने नाम फौतगी इंतकाल पारित करवाकर विवादित भूमि को खुर्दबुर्द करने की फिराक में है। अतः अपीलांट अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.18 को निरस्त करते हुए नामांतरकरण सं0 98 दिनांक 28.03.1989 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013 आरएलडब्ल्यू पार्ट 1 रेवेन्यु पेज 183, 2019 आरआरडी पेज 124 एवं 226, 2011 आरआरटी पेज 907, 2010 आरआरटी पेज 1222, 2021 डीएनजे रेवेन्यु पेज 804 प्रस्तुत किये।

विद्वान वकील रेस्पोडेंटस संख्या 5 ने प्राथमिक आपत्ति एवं जवाब बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, टोंक के निर्णय दिनांक 21.02.18 के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की है। उपखण्ड अधिकारी, टोंक द्वारा निर्णय दिनांक 21.02.18 पारित करते हुए नामा0 सं0 98 दिनांक 28.03.1989 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, टोंक को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि मृतक के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही करें। जिसकी पालना में तहसीलदार, टोंक द्वारा प्रकरण सं0 4/2018 रशिद बनाम अनीस दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 29.06.18 को प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित कर दिया है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.18 की पालना हो जाने से प्रस्तुत अपील प्रभावहीन हो गई है। अतः अपील अपीलांट प्रभावहीन होने से अपास्त की जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना आवश्यक समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

प्रकरण में गुणविगुण पर न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध एवं अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व बहस बिन्दुओ को सुना गया–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:10 IST
Reason: SelfAttested

वकील श्री राघवेन्द्र सिंह द्वारा आर एल डब्ल्यू पार्ट 1 रेवन्यू 2013 पेज 183, 2019 आर आर डी (1) पेज 124 एवं 226, 2011 आर आर टी पेज 907, 2010 आर आर टी पेज 1222, 2021 डी एन जे रेवन्यु पेज 804 प्रस्तुत किये।

आर0एल0डब्ल्यू पार्ट 1 रेवन्यू 2013 पेज 183—मियाद क्षमा आवेदन को निर्णित किये बिना अपील का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया जा सकता है। (अपीलाधीन निर्णय मे मियाद को क्षमा करने का आवेदन निर्णित नहीं किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2019 आर0आर0डी0 (1) पेज 124 एवं 226— बीस वर्ष बाद नामांतकरण को चुनौती नहीं दी सकती है। तथा विधि एवं तथ्यों के प्रश्न अन्तरवर्लित निमित्त वाद द्वारा ही तय हो सकते है। नामांतकरण्र की कार्यवाहीं में हक अधिकार तय नहीं हो सकते है। (वर्तमान प्रकरण में 28 वर्ष बाद अपील कि गई परन्तु कोई कारण स्पष्ट नहीं किया जबकि बर्डन ऑफ प्रुफ वर्तमान रेस्पोडैन्ट पर है इसप्रकार विरासत बाबत् बिन्दु नियमित वाद के द्वारा तय किये जाते है इंतकाल कार्यवाही में तय नही किये जा सकते है इसकारण पुर्व का इंतकाल यथावत रखा जाना चाहिए।)

2011 आर0आर0टी0 पेज 907—जब नियमित वाद विचाराधीन हो तो इंतकाल कि कार्यवाही स्थगित कि जानी चाहिए।

2010 आर0आर0टी0 पेज 1222— नामांतकरण कि कार्यवाही में गंभीर प्रश्न तय नहीं किये जा सकते है वाद ही उपचार है।

2021 डर0एन0जे0 रेवन्यु पेज 804— धारा 5 के आवेदन पर आदेश पारीत किये बिना प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय पारीत नहीं किया जा सकता है।

वकील अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत के नामांतकरण को नजरअंदाज कर 21.02.2018 को आदेश पारित किया है। जबकि एक नियमित वाद विचाराधीन है। आदेश दिनांक 21.02.2018 का लाभ उठाते हुए रेस्पोडेंड नामांतकरण पारित करवाकर वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द-बुर्द करने को आमाजा है। जिससे अपीलांट को अपूर्णिय क्षति कारित होगी। अतः उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.02.2018 को स्थगित किया जाये या रिकोर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित करावें। इसके समर्थन में अपीलांट छोटी का स्पथ पत्र प्रस्तुत किया है।

साथ ही एक अन्य प्रार्थना पत्र [illegible] **17 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल** के तहत प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 28.03.1989 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त नहीं हो पायी है। जो शीघ्र प्राप्त कर प्रस्तुत कर दी जायेगी। अतः अपील के साथ प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के आज्ञा पत्र प्रावधानों से राहत प्रदान किया जावें। इस प्रार्थना पत्र के साथ भी अपीलांट छोटी का शपथ पत्र प्रस्तुत गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:10 IST
Reason: SelfAttested

एक अन्य प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया है। कि में उपखण्ड अधिकारी टोंक के आदेश 21.02.2018 की जानकारी नहीं थी। क्योंकि उक्त आदेश प्रार्थीया को सुने बिना एवं सुचना दिये बिना पारित किया गया है। जिस पर मियाद लागू नहीं होती है। दिनांक 14.09.2018 को उसके द्वारा नकल प्राप्त की गई। एवं दिनांक 17.09.2018 को अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः उक्त अपील को अंदर मियाद मानते हुए मेरिट पर निस्तारित करें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस बहु पक्ष वकील सुनी गयी। बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा **वकील श्री राघवेन्द्र सिंह द्वारा आर एल डब्ल्यू पार्ट 1 रेवन्यू 2013 पेज 183, 2019 आर आर डी (1) पेज 124 एवं 226, 2011 आर आर टी पेज 907, 2010 आर आर टी पेज 1222, 2021 डी एन जे रेवन्यु पेज 804 प्रस्तुत किये।**

वकील रेस्पोडेंड श्री गिरीश शर्मा द्वारा आर आर टी 2009 (2) पेज 816 पार्वती देवी बनाम गुल्ली देवी तथा आर आर टी 2010(1) पेज 413 गुलाबसिंह बनाम उम्मेदसिंह के साइटेशन पेश की ।

बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि कबीरखान मूल खातेदार था। उसकी तीन संताने थी अजीजखान, छोटी और जुवैदा । अजीजखान रेस्पो0 नं 6 से 14 का पिता है। जुवैदा की मृत्यु 1975 में हो चुकी है। और रेस्पो0 नं 2 से 5 जुवैदा के वारिसान है। दिनांक 28.03.1989 को कबीरखान की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का नामांतकरण संख्या 98 उसकी जीवित संतानों अजीज और छोटी के नाम हुआ। जुवैदा के वारिसान द्वारा अपील प्रस्तुत की गई कि वह भी कबीर की संपत्ति में हकदार है। उक्त नामांतकरण संख्या 98 के विरूद्ध अपील में अपीलांट को नोटिस तामील नहीं हुआ है। यह प्रोसिडिंग देखकर पता लगाया जा सकता है। वकील अपीलांट के अनुसार दिनांक 24.01.2017 की प्रोसिडिंग निम्नानुसार है ''वकील पक्षकारान रेस्पो0 संख्या 4 के नोटिस अदम तामील प्राप्त तामील कुनिंदा की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पों नं 4 बाहर रहती है। अतः सही पते पर तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 03.03.2017 को पेश हो''

दिनांक 03.03.2017 की प्रोसिंडिंग ''वकील पक्षकारान उपस्थित पत्रावली वास्ते तलबी रेस्पो0 नं 4 रजिस्टर्ड ए0डी0 से की जाकर दिनांक 24.04.2017 को पेश हो।

दिनांक 24.04.2017 की प्रोसिडिंग के अनुसार वकील पक्षकारान उपस्थित पत्रावली व इतजा[illegible] रजिस्टर्ड ए0डी0 दिनांक 25.05. 2017 को पेश हो। वकील [illegible]लांट [illegible] अपीलांट हाल निवास जहाजपुर में [illegible]। उस प[illegible] कोई नोटिस जारी नही किया गया है। तामिल नहीं हुई है। दिनांक 10.01.2018 को एक्सपार्टी किया गया। वकील अपीलांट के अनु[illegible] रेगुलर वादपत्र भी चल रहा है। एस0डी0ओ द्वारा निर्णय करते हुए मियाद अवधि को नही देखा गया है। जुवैदा के वारिसान को 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के माध्यम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:10 IST
Reason: SelfAttested

बाद न्यायालय स्वीकृति आने थे यह भार उन पर था कि वह अपने आप को जुवैदा का वारिस सिद्ध करते मगर उनके द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। रेगुलर सूट के चलते नामांतकरण पर कोई कार्रवाही नही हो सकती है। एस0डी0ओ ने निर्णय कर प्रकरण को रिमाण्ड पर भेजा था, उन्हें रिमाण्ड में भी अपीलांट को नहीं सुना गया। दावे में यथास्थिति का आदेश है। मगर रेस्पो0 द्वारा नामांतकरण खुलवा दिया गया।

वकील रेस्पो0 के अनुसार यह कहा गया है कि दिनांक 21.02.2018 को उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा निर्णय किया गया, जिसकी अपील की है। उस आदेश की पालना तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.06.2018 को नामांतकरण खोलकर कर दी गई है। उक्त नामांतकरण के विरूद्ध छोटी को अपील करनी चाहिए थी जो उसके द्वारा नहीं की गई।

फैजान ने रजिस्टर्ड सैल डीड से छोटी से भूमि क्रय की है। पक्षकार बनने के लिए उसके द्वारा लगाये गये प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी को उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसे फैजान द्वारा कही चेलेंज नहीं किया गया।

रिब्युटल में वकील अपीलांट ने कहा है कि अपील जो एस0डी0ओ द्वारा सुनी गई थी मियाद बाहर थी। जुवैदा के वारिसान ही अपीलांट थे इस बाबत् कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं लिया गया। अतः अपील स्वीकार की जाये एवं एस0डी0ओ का आदेश दिनांक 20.02.2018 खारिज किया जाये।

सर्वप्रथम बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रोसिंडिंग को देखा गया। मूल पत्रावली अपील 7 / 2016 एस0डी0ओ टोंक रसीद बनाम अनीश का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली में धारा–5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा–96 सीपीसी लगाये बिना अनुमति प्राप्त किये अपील प्रस्तुत की है। जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध है। साथ ही छोटी की तलबी बाबत् शिकायत का जो आक्षेप लगाया गया है वह पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24.01.2018 की प्रोसिडिंग के अनुसार "वकील पक्षकारान उपस्थित प्रतिवादी नं 4 की ओर से श्री शिवराज ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल हो। एडवोकेट साहब ने वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल हो। पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी दिनांक 30.01.2018 को प्रस्तुत है। वकालतनामे को देखा गया, [illegible] वकालतनामा पर साक्षी के तौर पर अंगूठा निशानी शहिद मोहम्मद एवं अंगूठा निशानी छोटी प्रदर्शीत हो रहे है। अतः अपीलांट का यह [illegible] कि उन्हें नहीं सुना गया, यह गलत है। यह सही है कि जुवैदा के वारिसान के तौर पर कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। जिससे [illegible] पता लगता हों कि उक्त अपील 7 / 16 में अपीलांट रसीद,रईस,रईसा,मुन्नी,कल्लू अपने आप को जुवैदा की संतान मान कर आये है इस बाबत् पत्रावली पर कोई दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:10 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया है। जबकि इस प्रकरण में यह अपीलांट का बर्डन था।

बहस के दौरान प्रस्तुत साइटेशन का अवलोकन किया गया–

आर0एल0डब्ल्यू पार्ट 1 रेवन्यू 2013 पेज 183–मियाद क्षमा आवेदन को निर्णित किये बिना अपील का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 7 / 16 मियाद को क्षमा करने का प्रार्थना पत्र पत्रावली पर लिए बिना अपीलाधीन निर्णय को पारित किया है। जबकि धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पत्रावली पर आवश्यक था तथा उसका निर्णय होना भी आवश्यक था उपखण्ड अधिकारी ने इन दोनों बातो का ध्यान नही रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्ध है।

2011 आर0आर0टी0 पेज 907–जब नियमित वाद विचाराधीन हो तो इंतकाल कि कार्यवाही स्थगित कि जानी चाहिए। वर्तमान प्रकरण मे भी जुवैदा के वारिसान द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय टोंक में घोषणा का वादपत्र एवं इन्द्राज दुरस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् दायर किया हुआ है। न्यायालय का यह मानना है कि उपरोक्त साइटेशन वर्तमान प्रकरण में भी लागू है।

2010 आर0आर0टी0 पेज 1222– नामांतकरण कि कार्यवाही में गंभीर प्रश्न तय नहीं किये जा सकते है वाद ही उपचार है। वर्तमान केस में मूल खातेदार कबीर की मृत्यु के बाद उसकी खातेदारी भूमियो की विरासत विधि अनुसार है या नहीं है इस बाबत् विवेचन का विषय है उक्त साइटेशन इस प्रकरण में सही तरीके से लागू होता है।

2019 आर0आर0डी0 (1) पेज 124 एवं 226– बीस वर्ष बाद नामांतकरण को चुनौती नहीं दी सकती है। तथा विधि एवं तथ्यों के प्रश्न अन्तरवर्लित निमित्त वाद द्वारा ही तय हो सकते है। नामांतकरण्र की कार्यवाहीं में हक अधिकार तय नहीं हो सकते है। (वर्तमान प्रकरण में 28 वर्ष बाद अपील कि गई परन्तु कोई कारण स्पष्ट नहीं किया जबकि बर्डन ऑफ प्रुफ वर्तमान रेस्पोडैन्ट पर है इसप्रकार विरासत बाबत् बिन्दु नियमित वाद के द्वारा तय किये जाते है इंतकाल कार्यवाही में तय नही किये जा सकते है इस कारण पुर्व का इंतकाल यथावत रखा जाना चाहिए।) उक्त साइटेशन भी वर्तमान प्रकरण में चस्पा होता है। क्योंकि कबीर की विरासत का नामांतकरण दिनांक 28.03.1989 को खोला गया था। जिसकी अपील जुवैदा के वारिसान द्वारा 20.07.2016 को की गई थी। अपील बहुत देरी से प्रस्तुत की गई थी। देरी का कोई कारण नहीं बताया गया। अतः यह साइटेशन उक्त परिस्थिति में चस्पा होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.02.10 10:45:10 IST
Reason: SelfAttested

वकील रेस्पोडेंड श्री गिरीश शर्मा द्वारा आर आर टी 2009 (2) पेज 816 पार्वती देवी बनाम गुल्ली एवं तथा आर आर टी 2010(1) पेज 413 गुलाबसिंह बनाम उम्मेदसिंह के साइटेशन पेश की।

आर आर टी 2010(1) पेज 413 गुलाबसिंह बनाम उम्मेदसिंह के साइटेशन को देखा गया। उक्त प्रकरण में मृतक की बेटियों के द्वारा विरासत में अपने नाम खुलवाने बाबत् कानूनी कार्यवाही की थी। मगर उक्त प्रकरण हिन्दु उत्तराधिकार कानून के तहत विरासत से संबंधित है। जबकि वर्तमान प्रकरण मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार के तहत विरासत से संबंधित है। अतः यह साइटेशन वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होता है।

आर आर टी 2009 (2) पेज 816 पार्वती देवी बनाम गुल्ली देवी प्रकरण में यह तथ्य है कि कोई महिला मृतक की पुत्री है अथवा नहीं है। वर्तमान प्रकरण मे यह स्थिति नहीं है। यहां यह माना गया है कि जुवैदा कबीर की पुत्री है मगर यहां प्रश्न मुस्लिम विधि से उत्तराधिकार का है। अतः यह साइटेशन वर्तमान प्रकरण से लागू नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.02.2018 को देते हुए विधि के मेण्डेटरी प्रावधान यथा धारा 5 मियाद अधिनियम तथा 96 सीपीसी के प्रावधानो की घोर अवहेलना की है। निर्णय देते हुए विधि के प्रश्न का कोई विवेचन उनके द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार किस प्रकार से विरासत में हकदार होगें इस पर कोई विवेचन उनके द्वारा नहीं किया जाकर गंभीर त्रुटि की है। अतः उपखण्ड अधिकारी का आदेश दिनांक 21.02.2018 निरस्त योग्य पाया जाने से खारिज किया जाना उचित होगा।

आदेश

उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा अपील संख्या 7/2016 में दिये गए निर्णय दिनांक 21.02.2018 को तथा इसकी पालना में खोले गये नामांतकरण को विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। तथा इन्हीं वाद भूमियों के संदर्भ में पूर्व में दिनांक 28.03.1989 से खोले गये नामांतकरण संख्या 98 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:45:10 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर